23.04.2026

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित। साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह डी.डब्ल्यू 1 अक्षय सिंह उपस्थित, जिसके मुख्य परीक्षण के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण के द्वारा वादी भागचन्द की अन्य दीवानी वाद संख्या 97/2003 भागचन्द जैन बनाम अक्षय सिंह में दिनांक 02.04.2004 को लेखबद्ध की गई साक्ष्य को प्रदर्शित करवाना चाहते है, जिस पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने मौखिक रूप से आपत्ति की। उक्त आपत्ति के संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद में गवाह भागचन्द की हुई साक्ष्य की प्रमाणित प्रति हस्तगत वाद की आवश्यक विषय वस्तु एवं न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उन्होंने निवेदन किया कि उक्त वाद में वादी भागचन्द के पूर्व में अन्य वाद में हुए बयानों पर प्रदर्श आपत्ति को सुरक्षित रखते हुए अंकित किया जावे।

उक्त प्रार्थना–पत्र का वादीगण की ओर से जवाब पेश न कर मौखिक बहस की। बहस के दौरान उन्होंने तर्क पेश किया कि उक्त बयानों की प्रति अत्यन्त विलम्ब से पेश की गई है, जिसका कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की आपत्ति एवं उन्हें जिरह में प्रदत्त अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए बयान भागचन्द दिनांक 02.04.2004 जो कि इस न्यायालय में लेखबद्ध किये गये हैं, उसे प्रदर्शित करवाने की अनुमति दो हजार रूपये कॉस्ट पर दी जाती है। कॉस्ट राशि अविलम्ब अधिवक्ता वादीगण/वादीगण को दी जावे।

इस प्रक्रम पर उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की ओर से वाद में राजीनामा होने की संभावना प्रकट करते हुए एक अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया। उक्त निवेदन के पश्चात अधिवक्ता वादी की ओर से गवाह डी.डब्ल्यू 1 अक्षय सिंह से जिरह का अवसर चाहते हुए, वाद में आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.05.2026 नियत किये जाने का निवेदन किया गया, जो कि राजीनामा होने की संभावना को देखते हुए प्रदान किया गया।

पत्रावली वास्ते कॉस्ट अदायगी/राजीनामा/जिरह डी.डब्ल्यू 1 अक्षय सिंह दिनांक 05.05.2026 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर।